कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थितः– श्री अनिल संत, कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

प्रार्थी :– **सर्वश्री एस जी ए पावर सिस्टम प्रा0लि0, ए–7/14 इन्ड0एरिया, साउथ साइड जी0डी0रोड, गाजियाबाद ।**

प्रा0प0सं0– **416/2008**

प्रार्थी की ओर से– **श्री शिव कुमार, फर्म अधिवक्ता**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008की धारा–59 के अर्न्तगतनिर्णय

।– प्रार्थी के द्वारा दिनांक 26–11–2008 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा–59 के अर्न्तगत एक प्रार्थना प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रार्थी द्वारा निम्नलिखित वस्तुओं पर कर की दर की जानकारी चाही गयी है :–

1– Diesel Generator set sound proof , skid Mounted / Mobile and part thereof.

2- Lubricating Units Comprising [Air compressors Driven with Diesel Engine, Air Tanks ,Trolley Mounted with Hose pipes

3- Electric Grinder portable and part thereof.

4- Electric Drill Machine portable and part thereof.

5-Painting Spray Gun & compressors Unit Driven by Diesel Engine or Electric Motor and part thereof.

6-Hand Trolley/Trailers of Two Wheel of Four Wheel.

7-Canopy and part thereof.

2– व्यापारी के प्रार्थना पत्र पर एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–। वाणिज्य कर, गाजियाबाद जोन, गाजियाबाद से पत्र संख्या–1519 दिनांक 27–11–08 से आख्या मांगी गयी जो प्राप्त नहीं हुयी है।

3– धारा–59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु श्री शिव कुमार गुप्ता, फर्म अधिवक्ता उपस्थित हुये और प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया तथा Diesel Generator, Trailers, Lubricating Units, के बारे में विवरण प्रस्तुत किया गया ।

4– मैनें व्यापारी के धारा–59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों, विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को का अवलोकन किया और पाया गया कि जहॉ तक क्रम संख्या 1 से 05 तक अंकित वस्तुये Diesel Generator set, Lubricating Units, Electric Drill Machine, Painting Spray Gun का सम्बन्ध है, यह सब मशीने है तथा विद्युत से चलती है ।उपरोक्त वस्तुयें किसी भी अनुसुची में वर्गीकृत नहीं है अतः उपरोक्त वस्तुयें वैट अधिनियम की अनुसुची–5 में आने के कारण 12.5 प्रतिशत की दर से करयोग्य होगी । दिनांक 29–9–08 के पूर्व मशीनरी वैट अधिनियम की अनुसुची–2भाग–क के क्रमांक–26 में अंकित थी परन्तु अधिसूचना संख्या–2758 दिनांक 29–9–08 द्वारा उक्त प्रविष्टि विलोपित हो गयी अतः दिनांक 29–9–08 के पश्चात मशीनरी अनुसुची–5 के अन्तर्गत आने के कारण 12.5 प्रतिशत की दर से करदेय हो गयी। इसके अतिरिक्त Hand Trolley/Trailers of Two Wheel of Four Wheel. का सम्बन्ध है व्यापारी ने बताया कि उनकी उक्त Trolley नार्मल ट्रैक्टर Trolley से भिन्न है तथा इसका उपयोग आर्मी द्वारा मशीनों के साथ किया जाता है । इसके अतिरिक्त Canopy का प्रयोग जनरेटर के साथ किया जाता है अतः यह दोनों वस्तुयें भी मशीनो की कम्पोनेन्ट एसेसरीज है तथा यह किसी भी अनुसुची में वर्गीकृत नहीं है अतः उक्त वस्तुयें भी अनुसुची–5 के अन्तर्गत आने के कारण 12.5 प्रतिशत की दर से करयोग्य होगी ।

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

सर्वश्री एस जी ए पावर सिस्टम प्रा0लि0, ए–7/14 इन्ड0एरिया, साउथ साइड जी0डी0रोड, गाजियाबाद ।प्रा0प0सं0– **416/2008**

5– प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा–59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6– इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय

दिनांक :: 20 मार्च, 2009

ह0/20–3–09

(अनिल संत)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।